परिपत्र सं0– 02 सामान्य अनुभाग–1 (2)/बंदी पेशी/2019

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्य जनपदों की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना सम्बन्धित मा0 न्यायालयों को दिए जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 08 जनवरी 2019

प्रदेश के विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर अवगत कराया जाता है कि कतिपय बंदियों को नियत तिथि पर मा0 न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जाता है। कई बार तो मा0 न्यायालयों द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/ कारापाल से स्थिति स्पष्ट कराते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश प्राप्त होते है, यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। इससे जहां मा0 न्यायालय के आदेश की अवमानना होती है, वहीं बंदियों के मा0 न्यायालयों में चल रहे मुकदमों/वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। सम्बन्धित कारागारों से जब ऐसे प्रकरणों में स्थिति स्पष्ट करायी जाती है, तो अधिकांश कारागारों द्वारा पुलिस गार्ड उपलब्ध न कराया जाना बताया जाता है।

ऐसे ही एक प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मा0 अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर के पत्र दिनांक 25.08.2018 की प्रति संलग्न करते हुये यह अवगत कराया गया है, कि प्रशासनिक आधार पर विचाराधीन बंदियों को अन्य जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानान्तरित किये जाने की कोई सूचना, जिला मजिस्ट्रेट/अधीक्षक जिला कारागारों द्वारा मा0 न्यायालय को न दिये जाने के परिणाम स्वरूप विचारण हेतु बंदियों को पूर्व की जिला कारागार से आहूत किये जाने पर वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक, जिला कारागार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप कारागार में निरूद्ध बंदियों का विचारण शीघ्र नहीं हो पाता है, तथा बंदियों के विचारण के समय उपस्थित न होने के कारण साक्षियों को बिना साक्ष्य अंकित कराये लौटना पड़ता है, जिससे एक ओर न्यायिक प्रकिया में विलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित बंदियों की सूचना तत्काल सम्बन्धित विचारण न्यायालय को उपलब्ध करायी जाये तथा नियत तिथियों पर नियमानुसार सम्बन्धित बंदियों को पुलिस अभिरक्षा में मा0 विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कराना सुनिश्चित करें।

7/1/19

(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

पत्र पृष्ठांकन संख्या– /सामा–1(2)/बंदी पेशी/2018 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, गाजीपुर को उनके पत्र दिनांक 25.08.2018 के संदर्भ में।

2– अनु सचिव, उ0प्र0, शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–3, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–1875/ जे0एल0/22–3–18–68/2018, दिनांक 23.10.2018 के संदर्भ में।

3– ~~मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, गाजीपुर को उनके पत्र दिनांक 25.08.2018 के संदर्भ में।~~

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

(वी0 के0 जैन)
अपर महानिदेशक कारागार (प्र0/वि0)
उत्तर प्रदेश।